78

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरावलोकन

III/पुनर्वलोकन/अशोकनगर/भू.रा/2017/6031

सत्यप्रकाश सिंह पुत्र बुन्देल सिंह यादव

निवासी–तायडे कॉलोनी, अशोकनगर

तहसील व जिला–अशोकनगर

विरूद्ध

1. मेहरबान सिंह पुत्र कमल सिंह यादव
2. संग्राम सिंह पुत्र कमल सिंह यादव
3. संतराम सिंह पुत्र कमल सिंह यादव
4. रघुवीर सिंह पुत्र कमल सिंह यादव

निवासीगण–ग्राम पथरिया,

तहसील व जिला–अशोकनगर

श्री संतोष चाफेकर द्वारा आज दि. 11.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10/1/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1904–3/2013 में सदस्य श्री एस.एस.अली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/09/2017 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अभिलेख की गंभीर त्रुटि हुयी है जो विवादित आदेश के लिये पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार निर्मित करती है।

2. यह कि, अपर आयुक्त ने दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के आदेषो को निरस्त किया था जिसके विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहते आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य व्यवहार न्यायाधीश ने अनावेदको द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद क्रमांक–74–ए/2013 का दिनांक 09/03/2014 को निराकरण करते हुये अनावेदको के वाद को निरस्त कर दिया।

3. यह कि, व्यवहार न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री को आवेदक ने संहिता की धारा–32 के अंतर्गत आवेदन देकर दिनांक 17/12/2015 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका उल्लेख दिनांक 17/12/2015 की आदेश पत्रिका में है।

4. यह कि, पुनरीक्षण प्रकरण में अंतिम तर्को के समय आवेदक की ओर से अन्य तर्को के साथ इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया था कि व्यवहार न्यायालय ने अपने

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/अशोकनगर/भूरा/2017/6031

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25.06–18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1904–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.9.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/अशोकनगर/भूरा/2017/6031 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण निगरानी 1904–तीन/13 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.9.17 से किया जा चुका है। 4 पकरण कमांक दो/पुर्ना0/अशोकनगर/भूरा/2017/6031 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में	

पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक दो/पुर्ना0/अशोकनगर/भूरा/2017/6031 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य